| आदेश की क्रमांक / तिथि Order No./Date | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer | आदेश पर की गई कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date |
|---|---|---|

**न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू, (राँची)।**

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–71 (A) के तहत
वाद संख्या–SAR-01/2017-18

1. भक्तु उराँव, पिता–स्व० सोना उराँव, सा०–तिलाईपिड़ी, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची................**आवेदक/प्रथम पक्ष।**

बनाम

1. डिपटी महतो, पिता–स्व० लवधन महतो,
2. श्रीपदो महतो, पिता–स्व० निर्मल महतो, ग्राम–तिलाईपिड़ी थाना–सोनाहातु जिला–राँची............................**द्वितीय पक्ष।**

## आदेश

18-08-2022

प्रस्तुत वाद में आवेदक भक्तु उराँव, पिता–सोना उराँव, सा०–तिलाईपिड़ी, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची की मृत्यु दिनांक–07/03/2021 को हो गयी है। आवेदक की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री सूरज लाल सिंह मुण्डा की ओर से दिनांक–14/07/2022 को Limitation Act की धारा 5 के तहत मृतक भक्तु उराँव के उत्तराधिकारीगण 1) रतुली देवी, पति–स्व० भक्तु उरांव, 2) मिथुन उराँव, पिता–स्व० भक्तु उराँव, एवं 3) सोमरा उराँव पिता स्व० भक्तु उराँव को पार्टी बनाने हेतु अनुरोध किया गया।

इसके विरूद्ध विपक्षी क्रमांक–01 की ओर से प्रत्युत्तर दाखिल की गयी जिसमें उल्लेखित है कि आवेदक भक्तु उराँव के वंशज को Limitation Act की धारा 5 के तहत पार्टी बनाना चाहते हैं जो कानून के विरूद्ध है तथा खारिज योग्य है, चूँकि Limitation Act की धारा 5 के तहत किसी व्यक्ति को पार्टी नहीं बनाया जा सकता है। Limitation Act की धारा 5 के तहत न्यायालय में निर्धारित समय के पश्चात दाखिल किए गए किसी आवेदन को क्षांत करने के लिए किया जाता है। अतः अनुरोध है कि आवेदक द्वारा दिनांक–14/07/2022 को दाखिल आवेदन को खारिज करने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेखबद्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। आवेदक की ओर से Limitation Act की धारा 5 के तहत मृतक भक्तु उराँव के उत्तराधिकारीगण को पार्टी बनाने हेतु अनुरोध किया गया है जो कि प्रतिस्थापन याचिका (Substitution Petition) हेतु सही प्रावधान अथवा नियम नहीं है। अतः आवेदक की ओर से दिनांक–14/07/2022 को दाखिल आवेदन को खारिज किया जाता है। चूँकि एकमात्र वाद के आवेदक की मृत्यु हो चुकी है इस कारण वाद की कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को दिखावें।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.08.27 14:02:39 +05:30
Location: 192.168.218.216

लेखापित एवं संशोधित।

18/08 18/08

**भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।** **भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)।**